राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर

राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर के तहत पियोन की सेवाऐं लेने हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र

मूल्यः 100/– रुपये

अवधिः 1 वर्ष

निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक **25.09.2008** को अपरान्ह **2.30** बजे

निविदा खोलने की दिनांक **25.09.2008** को अपरान्ह **3.00** बजे

राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट
ग्राउण्ड फ्लोर, आर.एच.एस.डी.पी. भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर

आर.एच.एस.डी.पी. परियोजना के तहत पियोन की सेवाऐं लेने हेतु निविदा व संविदा की शर्तें

1. आर.एच.एस.डी.पी. परियोजना में 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवायें अनुबन्ध के आधार पर लेने हेतु निविदा दाता द्वारा मात्र अधिकतम अनुज्ञेय मासिक दर पर केवल सेवा शुल्क की निविदा दर ही दी जानी है जो अंकों एवं शब्दों दोनों में होनी चाहिए। शुल्क का अंकन नहीं होने अथवा किसी शर्त के तहत प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. विभाग न्यूनतम सेवा शुल्क वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकर विभाग को होगा।

3. निविदाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशानुसार निविदा उचित रूप से लिखकर मोहबन्द लिफाफ में बन्द करके लिफाफ पर 'पियोन की सेवाओं हेतु निविदा प्रपत्र' अंकन के साथ कौने पर निविदादाता अपना पूर्ण पता लिखेंगे।

4. निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 25.9.2008 को अपरान्ह् 2.30 बजे तक, या इससे पूर्व कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. निविदाऐं क्रय समिति के समक्ष अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 25.09.2005 को अपरान्ह् 3.00 बजे खोली जावेंगी, जिसमें निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

6. निविदाऐं प्लेसमेन्ट एवं मेनपावर सप्लाई पंजीकृत फर्मों (जो श्रम विभाग से पंजीबद्ध हो तथा उनके कार्यों में ऐसा अंकित हो) द्वारा ही दी जानी चाहिए जो अनुबंधित कार्मिकों को राजकीय कार्यालय व संस्थाओं में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखते हों तथा इस हेतु विभाग अथवा संस्थानसे प्रज्ञपत पत्र/अनुभव प्रमाण–पत्र एवं रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति संलग्न करनी होगी। वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं अधिक अनुभवी फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी। इस हेतु विगत दो वर्षों का आयकर विवरणी अथवा अंकेक्षित लेखे संलग्न करने होंगे।

7. निविदा स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में पेन/स्याही से ही भरी जाय। किसी भी प्रकार की कांट–छांट या आवेर राइटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदा खोलने वाली समिति ऐसी कांट–छांट आवेर राइटिंग पर जो भी निर्णय ले, वह निविदादाता को मान्य होगा। निविदा में प्रसतुत दों की वेलिडिटी तीन माह होगी।

8. निविदा को अथवा निविदा के किसी भाग को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार परियोजना निदेश को होगा।

9. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वे कम से कम आठवीं पास होने चाहिये।

10. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेंगे कि निविदाकार ने सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अतः निविदाकार को चाहिये कि सभी शर्तों को पढ़कर समझ ले। यदि किसी प्रकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में विभाग के सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते हैं।

11. निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों के विपरीत अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त विभाग को मान्य नहीं होगी। निविदा में दरों के साथ कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

12. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को बयाना राशि (अग्रिम राशि) के रूप में 8000/– रुपये की राशि परियोजना निदेश, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि विभाग द्वारा लौटा दी जावेगी।

13. बयाना (अग्रिम राशि) राशि का समपहरण निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा–

1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को (मोडिफिकेशन) उपान्तरित कर देता है।
2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता।
3. जब आदेश दिये जाने के पश्चात् नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
4. जब निर्धारित समय में अनुबंधित कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था प्रारंभ करने में विफल रहता है।

14. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 100/– रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पडेगा। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्त्ता को निविदा राशि का 5 प्रतिशत बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में परियोजना निदेशक, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक चैक द्वारा जमा करानी पड़ेगी। यह राशि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर दो माह उपरान्त वापस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

15. करार के पूर्ण किये जाने तथा स्टाम्प पेपर का व्यय निविदादाता द्वारा संदत्त किया जायेगा और विभाग को करार का स्टाम्प शुद्ध प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जावेगा।

16. जो भी व्यक्ति लगाये जायेंगे, उन्हें राज्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.एच.एस.डी.पी. के कार्यालय में प्रातः 9.00 बजे उपस्थित होना होगा एवं सांय 6.00 बजे तक रुकना होगा।

17. सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों को परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी. एवं इनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशानुसार कार्यालय में कार्य करना होगा।

18. यदि सेवा – संबंधित कार्य की, उक्त समय से पूर्व/पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती है, तो उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

19. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी. या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को तत्काल उसके स्थानपर अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराना होगा।

20. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों का चाल–चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।

21. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाय तो उसे उपस्थित होना होगा।

22. उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसका पूर्ण उत्तरदायत्वि सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था का होगा।

23. अनुबन्ध से पूर्व संविदा सेवाओं के उक्त 8 पदों हेतु 24 प्रार्थी का पैनल (प्रत्येक पद हेतू तीन का पैनल) प्रस्तुत करना होगा। जिन व्यक्तियों हेतु विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जायेगी उन व्यक्तियों की ही संवाऐं ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

24. अनुबंधकर्त्ता फर्म को दिया गया कॉन्ट्रेक्ट वह किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगा अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगा।

25. अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होगा एवं संतोप्रपद कार्य करने पर उसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

26. फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्त्ता फर्म द्वारा विभाग को लिखित में दी जावेगी किन्तु इन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए इस अनुबन्ध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबन्धकर्त्ता को विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।

27. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं करये जाने की स्थित में, अनुपस्थित दिनों का पारिश्रमिक अनुपातिक रूप से काटा लिया जायेगा तथा तीन दिवस तक लगातार अनुपस्थित रहने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कटौति होगी। विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कहीं से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये गये अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार से ही की जायेगी।

28. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को उपलब्ध कराई गई सेवाओं का बिल प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में परियोजना निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

29. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को ही किया जावेगा।

30. उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों को भुगतान का दायित्व सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था का होगा लेकिन कार्मिकों का भुगतान परियोजना मुख्यालय में आकर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में करना होगा।

31. टी.डी.एस., मासिक बिल में काटकर नियमानुसार जमा कराये जायेंगे तथा जिसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र में विभाग द्वारा, निविदाकर्त्ता को दी जायेगी।

32. प्रतिभूति राशि को निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकता है–

(अ) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
(ब) जब निविदादाता सन्तोषप्रद रूप से सेवायें देने में विफल रहता है।
(स) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। समय के संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

33. ठेकेदार द्वारा दी जा रही अनुबंधित कार्मिकों की व्यवस्था विभाग की अपेक्षा अनुरूप संतोषजनक न होने की स्थिति में विभाग को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को किसी भी समय बिनापूर्व नोटिस के समाप्त कर दे।

34. अनुबंधित कार्मिकों की पी.एफ./ई.एस.आई. कटौति, बीमा एवं श्रमिक अधिनियम की पालना करने की उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

35. पियोन की सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

36. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी.डी. से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

37. अपूर्ण एवं वांछित सूचनाओं के अभाव में निविदाओं को निरस्त/रद्द कर दिया जायेगा।

38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी. का निर्णय अन्तिम होगा।

39. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (इस विभाग व ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत की जायेगी।

राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डलवपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर
आर.एच.एस.डी.पी. भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

विषयः पियोन की सेवायें हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा पताः–

....

....

(टेलीफोन अवश्य अंकित करें)

2. फर्म के रजिस्ट्रेशन नं.

   पंजीकरण करने वाले विभाग का नाम एवं

   मान्यता अवधि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. पंजीकरण में फर्म के कार्यः

4. अनुभवः

   (विवरण देवें तथा प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. वित्तीय टर्नओवर राशि

   2006–07 ....

   2007–08 ....

   (आयकर विवरणी अथवा अंकेक्षित लेखे संलग्न करने होंगे)

6. निविदा शुल्क की रकम राशि रुपये 100/– (एक सौ रुपये) रोकड़ रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा संस्थान में जमा करा दी गई है।

7. निविदा सूचना संख्या कमांक प–1( )/आर.एच.एस.डी.पी./एस.पी.सी./2008/ .... दिनांक .... जो विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा जारी की गई है, मैं/हम वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं, जिसे समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।

8. उक्त निविदा के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार राशि रुपये .... (अक्षरे रुपये .... मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... को परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी., जयपुर के पक्ष में देय है, संलग्न है।

9. हम अपनी न्यूनतम सेवा शुल्क 'सेवा शुल्क दर प्रपत्र' में अंकित करते हैं।

10. निविदादाता एकल स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की ? ....

11. एकल स्वामित्व है तो स्वामी का नाम एवं पता ....

....

12. साझेदारी की स्थित में साझोरी के नाम पता ....

....

13. निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता तथा उसकी फर्म में स्थिति—

....

....

14. इस निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षरित व्यक्ति के अलावा यदि कोई भविष्य में पत्र व्यवहार करे तो उस व्यक्ति का नाम व पता एवं हस्ताक्षर तथा उसी फर्म में स्थिति अंकित करें।

....

....

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर व पता सहित

राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डलवपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर
आर.एच.एस.डी.पी. भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फर्म का नाम व पता ....

कार्य का नामः पियोन हेतु अनुबंधित कार्मिकों की सेवाओं के लिये सेवा शुल्क दर।

दर का विवरण

क.सं.	आपूर्ति की जाने वाली सेवा का नाम	पद संख्या	न्यूनतम योग्यता	अधिकतम अनुज्ञेय मासिक दर प्रति	सेवा शुल्क की दर (दर प्रतिशत में देवें तथा शब्दों में एवं अंकों में अंकित करें।)
1	पियोन	14	आठवीं पास	2600.00	

नोटः

1. सेवा शुल्क की दर के कॉलम से दर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की शर्त/प्रविष्टि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम
व पूरा पता रबर स्टाम्प सहित